INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

उ०प्र० सरकार

17 JUN 2010

कोषा० प्रतापगढ़

ट्रस्ट–डीड

मै डॉ0 शान्तिलाल यादव सुत राम सुन्दर यादव निवासी–सगरा सुन्दरपुर जिला–प्रतापगढ़ निवासी हूँ जिन्हे आगे व्यवस्थापक/न्यायाधीश कहा गया है। व्यवस्थापक की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करने की है जिसके लिए व्यवस्थापक ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।
विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/– रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिए कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने उक्त राशि अंकन 11000/–रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापक ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है। और इस विलेख का निष्पादन कर रहा है। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करता है और घोषणा करता हूँ कि–

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम शान्तिलाल यादव सुत राम सुन्दर यादव शैक्षणिक/सामाजिक एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट (SRY Social and Charitable Trust) होगा।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम सगरा सुन्दरपुर पोस्ट सगरा सुन्दरपुर जिला प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरण कर सकते हैं।
3. यह कि ट्रस्ट उक्त राशि अंकन 11000/– रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति नगद राशि निवेश दान ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय समय पर प्राप्त होकर धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।
4. यह कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा तथा समवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य समाजिक उत्थान के कार्य औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय समय पर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CU 971915

अवश्यकतानुसार न्याय के उद्देश्यों से परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यह कि ट्रस्ट के उद्दश्यों के पूर्ति के लिए न्यासीगण को समय समय पर भूमि का ग्रहण अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. स्कूल, कालेज, तकनीकी संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय व फार्मा शिक्षण विधि व नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना सभी प्रकार के ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन चिकित्सीय शिक्षण, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक व व्यवसायिक कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना व संचालन करना।

7. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडिएम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।

8. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

9. शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन करना, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना तथा संचालन करना।

10. सभी प्रकार के फिल्में, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण करना।

11. धर्मशाला, आश्रम, केश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, अध्यात्मिक साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिए धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।

12. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्प संख्यक वर्ग, विकलांगों, विधवाओं तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्तिव सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता करना तथा उनकी शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23 JUN 2015 CU 971916

13. सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेश प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाइजी बनाकर उसे चलाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रदान करवाना।
14. समय–समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।
15. समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
16. गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिस करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारियाँ देना।
17. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना।
18. अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
19. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़े और अवैध कब्जे भी न हो पाये।
20. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिए चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BG 713921

21. स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिए जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।

22. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय–विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य करना।

23. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

24. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य के सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिए दान लेना एवं दान की रसीद देना।

25. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो।

26. यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमीनार/वर्कशाप आयोजित करना।

27. कृषि उन्नति एवं विकास हेतु अनुसंधान करना तथा वह सभी कार्य करना जिससे कृषि विकास हो तथा पैदावार बढ़े एवं समाज में उसका प्रचार प्रसार करना।

कार्यक्षेत्र–

यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्त्तव्य एवं नियुक्ति :–

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

2. यह कि न्यासी ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि दृष्टिगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

3. यह कि व्यवस्थापको/ट्रस्टीयों ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष सचिव को ट्रस्ट को सुचारू रूप में संचालन करने के लिए नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यान्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

4. यह कि डॉ0 शान्तिलाल यादव सुत राम सुन्दर यादव उपरोक्त ट्रस्ट की प्रथम अध्यक्ष एवं डॉ0 चन्द्रपाल यादव सुत शान्तिलाल यादव निवासी सगरा सुन्दरपुर पोस्ट जगरा सुन्दरपुर जिला प्रतापगढ़ उपरोक्त ट्रस्ट के प्रथम सचिव होंगे।

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और न ही सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी या व्यवस्थापक अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग पत्र देत है अथवा मृत्यु की दशा में व्यवस्थापक को उनके रिक्त पद पर नया पदाधिकारी/व्यवस्थापक रखने का अधिकार होगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी व्यक्ति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्यागपत्र देता है और उसे सचिव व अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।

5. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्त्तव्य व दायित्व होंगे।

अध्यक्ष–ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करने के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्यवाही वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव–ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्यरूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिए उसकी नकल सभी ट्रस्टीयों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उप सचिव–सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना, किन्तु उप सचिव के द्वारा की गयी कार्यवाही वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष व सचिव से करवा लिया जाएगा।

आज दिनांक 04/07/2016 को

बही सं. 4 जिल्द सं. 12

पृष्ठ सं. 11 से 26 पर क्रमांक 22

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राम प्रसाद (प्रभारी)
उपनिबंधक लालगंज
लालगंज अझारा
4/7/2016